सीमेंट कंपनियों के शेयरों में आई बंपर उछाल

अल्ट्राटेक का एमकैप 3 लाख करोड़ रुपये

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का मानना है कि वॉल्यूम में वृद्धि, कीमत को लेकर अनुशासन से बढ़ेगा मार्जिन

दीपक कोरगांवकर
मुंबई, 27 दिसंबर

आने वाले समय में परिचालन के मोर्चे पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में बुधवार के कारोबारी सत्र में सीमेंट निर्माता फर्मों के शेयरों की मांग रही। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इस क्षेत्र को लेकर अपना नजरिया अपग्रेड किया है। वैयक्तिक शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर बीएसई पर कारोबारी सत्र के दौरान 5 फीसदी उछलकर 10,489 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया। अंत में यह शेयर 4.2 फीसदी की बढ़त के साथ 10,445 रुपये पर बंद हुआ।

आज की तेजी के साथ यह शेयर 3 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण वाली सूचीबद्ध कंपनियों के क्लब में शामिल हो गई। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, 3.02 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ अल्ट्राटेक की रैंकिंग 20वीं रही और यह सन फार्मा से आगे निकल गई। सीमेंट क्षेत्र के अन्य शेयरों नुवोको विस्टास कॉर्प, डालमिया भारत, रामको सीमेंट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और स्टार सीमेंट में 2 से 4 फीसदी तक की तेजी आई। इसकी तुलना में एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स 1 फीसदी चढ़कर 72,038 पर बंद हुआ।

पिछले एक महीने में इस शेयर में 23 फीसदी की उछाल आई है जबकि एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

अल्ट्राटेक के प्रबंधन के मुताबिक, मांग में सुधार अवश्यंभावी है, खास तौर से त्योहारी सीजन और जनवरी-मार्च में निर्माण की पीक अवधि के दौरान।

चुनाव पूर्व खर्च, बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार जोर दिए जाने और रियल एस्टेट के स्थिर विकास के चलते भी मांग बढ़ेगी। ये सभी चीजें कंपनी के लिए अच्छी है। प्रबंधन ने सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित करते हुए ये बातें कही थी। सभी बाजारों में बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों से मांग बढ़ी। विश्लेषकों के मुताबिक, बुनियादी ढांचे के विकास की ओर सरकार के झुकाव, बढ़ते शहरीकरण व हाउसिंग लोन के प्रसार के बीच हाउसिंग की स्थिर मांग से सीमेंट की मांग मजबूत रहने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का मानना है कि सीमेंट शेयरों की रफ्तार जारी रह सकती है क्योंकि वॉल्यूम में मजबूती, कीमत को लेकर अनुशासन और अपेक्षाकृत कम ईंधन लागत के कारण मार्जिन का विस्तार हो रहा है।

वित्त वर्ष 24 वॉल्यूम में मजबूत वृद्धि और ईंधन लागत में नरमी वाला साल रहा है। वित्त वर्ष 24 में अब तक पेट केक और थर्मल कोल की औसत कीमतें सालाना आधार पर क्रमशः 35 फीसदी व 45 फीसदी घटी हैं।

हालिया तेजी के बावजूद हाजिर कीमतें वित्त वर्ष 23 की ऊंचाई से काफी नीचे है। सीमेंट की मांग में वृद्धि अक्टूबर 2023 में दो अंकों में रहने के बाद नवंबर में घटी, जिसकी वजह त्योहारी सीजन, श्रमिकों की अनुपलब्धता, राज्यों के चुनाव और कुछ बाजारों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर लगाए गए लगाम हैं।

हालांकि मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज का मानना है दिसंबर 2023 में सुधार होगा, जो बुनियादी ढांचा, रियल एस्टेट की परियोजनाओं और निजी पूंजीगत खर्च की अगुआई में होगा।

10 अग्रणी सीमेंट कंपनियां (27 दिसंबर, 2023)

	सीएमपी	% बदलाव		लक्षित	नोमुरा की लक्षित कीमत (रु.)	
	रुपये	एक दिन	वाईटीडी	कीमत रु.	*पुराना	नया
अल्ट्राटेक सीमेंट^	10,445	4.2	50.1	9,327	9,300	11,500
श्री सीमेंट^	28,631	0.1	22.9	24,878	28,700	33,400
अंबुजा सीमेंट्स	516	2.2	-1.5	470	380	480
डालमिया भारत^	2,323	3.7	24.8	2,501	2,600	2,900
एसीसी	2,168	2.6	-11.2	2,211	1,650	1,950
जेके सीमेंट	3,774	0.2	29.2	3,612	NA	NA
रामको सीमेंट्स^	1,016	2.8	45.2	1,009	980	1,250
नुवोको विस्टा कॉर्प ^	390	4.5	6.7	406	NA	NA
बिड़ला कॉर्प	1,430	0.9	45.9	1,513	NA	NA
जेके लक्ष्मी सीमेंट	897	1.5	9.5	847	10 NA	NA

*ब्लूमबर्ग, सीएमपी : मौजूदा बाजार भाव, वाईटीडीः इस साल अब तक
^ नोमुरा ने खरीद की रेटिंग दी है, वहीं अंबुजा व एसीसी की रेटिंग घटाई है
स्रोत : ब्लूमबर्ग, एक्सचेंज, नोमुरा की रिपोर्ट
संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

नए निवेशकों के पंजीकरण में उत्तर प्रदेश अग्रणी

साल 2023 में करीब 1.6 करोड़ नए निवेशकों ने इक्विटी बाजार में प्रवेश किया और 23 लाख नए निवेशकों को जोड़कर उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में उभरा। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

उत्तर प्रदेश ने निवेशकों की संख्या में 34 फीसदी उछाल दर्ज की और वह महाराष्ट्र को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा, जो पारंपरिक तौर पर निवेशकों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। पश्चिमी राज्य ने 22 लाख नए निवेशक जोड़े और 1.49 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर के साथ सबसे बड़ा निवेशक आधार बना रहा। उत्तर प्रदेश और गुजरात का स्थान इसके बाद रहा और वहां कुल निवेशक क्रमशः 89 लाख व 77 लाख रहे।

2023 में इक्विटी बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी, जिसे स्मॉल व मिडकैप में तेजी के अलावा आईपीओ के मजबूत प्रदर्शन से सहारा मिला। आईपीओ शेयर बाजार में नए निवेशकों को खींचता है। अगस्त में नए डीमैट खाते 19 महीने के उच्चस्तर 31 लाख पर पहुंच गए थे।

संकलनः अभिषेक कुमार

इक्विटी के प्रति दीवानगी

निवेशकों के जुड़ाव के लिहाज से 10 अग्रणी राज्य

राज्य	2023 में जुड़े नए निवेशक*	सालाना बढ़त **
	लाख	फीसदी
उत्तर प्रदेश	23.1	33.80
महाराष्ट्र	21.8	16.90
गुजरात	11.3	17.20
राजस्थान	9.90	25.60
पश्चिम बंगाल	9.70	24.50
मध्य प्रदेश	9.00	28.90
बिहार	8.80	36.60
तमिलनाडु	8.20	20.40
कर्नाटक	7.40	18.50
दिल्ली	6.20	18.90

स्रोत : एनएसई
*25 दिसंबर के आंकड़े
**दिसंबर 2022 के मुकाबले निवेशक

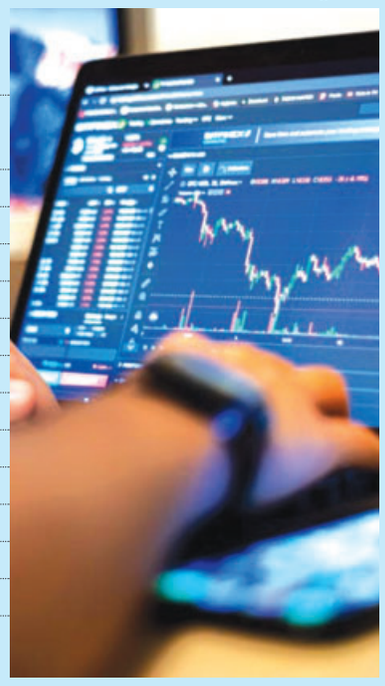

बाजार की तेज रही चाल मगर...

पृष्ठ 1 का शेष

साल 2020 में बाजार का स्वाद चखने के बाद बख्शी और उनके दोस्तों ने शेयर बाजार में लघु अवधि के दांव लगाना शुरू कर दिया। इसके लिए अधिकांश जानकारी वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब एक्स) पर चैट के जरिये, कारोबारी चैनलों को देखकर और टेलीग्राम एवं व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिये जुटाते थे।

कुछ ने उन कंपनियों में भी काफी निवेश किया जो शांत दिखती थीं। बख्शी ने बताया कि जब 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो उन्होंने वैसी तमाम कंपनियों में पैसा लगा दिया जिनके नाम में ऑक्सीजन जुड़ा था। चूंकि उनका ऑक्सीजन से कोई लेना-देना नहीं था इसलिए ज्यादातर पैसा डूब गया। सेंसेक्स कोविड काल 23 मार्च 2020 के निचले स्तर 25,639 अंक से 2.7 गुना बढ़त दर्ज कर चुका है। इस साल सेंसेक्स 72,000 के स्तर को पार कर चुका है और निफ्टी भी 21,000 के पार है।

अगर किसी ने 10 लाख रुपये का निवेश किया होगा तो 22 दिसंबर के बंद भाव के अनुसार उनका निवेश 27 लाख रुपये हो चुका होगा। मिडकैप और स्मॉलकैप श्रेणियों ने भी बख्शी जैसे खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया जहां इस साल जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी मिडकैप100 में 43.12 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप100 में 52.5 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। बख्शी ने बजार में अपने निवेश का खुलासा करने से हिचकिचाते हुए कहा, 'मुझे नहीं लगता है कि मेरा निवेश दोगुना हो गया है। मैंने मुनाफा जरूर कमाया है, मगर वह सेंसेक्स में तेजी अथवा स्मॉलकैप शेयरों में बढ़त के लिहाज से कम है।' उन्होंने कहा कि शेयरों की तेजी में लिवाली और बिकवाली नहीं की, अन्यथा उनकी कमाई बढ़ सकती थी।

अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच शेयर बाजार में काफी हद तक तेजी का रुख रहा। मगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व एवं अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने और महामारी के बाद प्रोत्साहन उपायों को वापस लिए जाने से बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगा। पिछले दो वर्षों के दौरान बाजार का रिटर्न कमजोर रहा है जहां सेंसेक्स ने 10 फीसदी से भी कम रिटर्न दिया है। यह उन तमाम नए निवेशकों के लिए वास्तविकता से अवगत होने का समय रहा जिन्होंने यह सोचकर शेयर बाजार में दस्तक दी थी कि जबरदस्त रिटर्न का दौर लगातार जारी रहेगा।

ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि बाजार का रिटर्न अंततः लगभग 12 फीसदी प्रति वर्ष के अपने दीर्घकालिक औसत पर वापस आ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश को लंबी अवधि के लिए बरकरार रहते हुए यह रिटर्न हासिल किया जा सकता है।

हैप्पी फोर्जिंग्स, आरबीजेड ज्वैलर्स व क्रेडो की अच्छी शुरुआत

बीएस संवाददाता
मुंबई, 27 दिसंबर

हैप्पी फोर्जिंग्स के शेयरों ने बुधवार को एक्सचेंजों पर मजबूती के साथ शुरुआत की। यह शेयर अपने इश्यू प्राइस से 17 फीसदी ऊपर 1,001 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ और अंत में 21 फीसदी प्रीमियम के साथ 1,030 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी ने अपने आईपीओ का कीमत दायरा 808 से 850 रुपये प्रति शेयर तय किया था। 1,008 करोड़ रुपये के आईपीओ में 400 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी हुए जबकि 608 करोड़ रुपये का ओएफएस रहा। आईपीओ को 82 गुना आवेदन मिले थे।

सूचीबद्धता के बाद हैप्पी फोर्जिंग्स का बाजार पूंजीकरण 9,701 करोड़ रुपये रहा और उसकी योजना आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल प्लांट व मशीनरी की खरीद व कर्ज चुकाने में करने की है।

आरबीजेड ज्वैलर्स का शेयर पहले दिन अपने इश्यू प्राइस से 5 फीसदी बढ़कर बंद हुआ। यह शेयर अपने इश्यू प्राइस 100 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ और 105 रुपये पर बंद हुआ। आरबीजेड ने आईपीओ का कीमत दायरा 95 से 100 रुपये तय किया था।

क्रेडो ब्रांड्स का शेयर 282 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ और अंत में 11.6 फीसदी प्रीमियम के साथ 312.5 रुपये पर बंद हुआ। 549.8 करोड़ रुपये का आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस था। कंपनी ने इसका कीमत दायरा 266 से 280 रुपये प्रति शेयर तय किया था। कंपनी मुफ्ती ब्रांड के तहत कपड़ों और एक्सेसरीज की खुदरा बिक्री करती है। इस साल सितंबर तक कंपनी के 591 शहरों में 1,807 हैं।

एफऐंडओ ट्रेड में यूट्यूब वीडियो से हो रहे फैसले

बीएस संवाददाता
मुंबई, 27 दिसंबर

शेयर बाजार में वायदा एवं विकल्प (एफऐंडओ) सेगमेंट के करीब 53 फीसदी ट्रेड के फैसले सोशल मीडिया व यूट्यूब वीडियो, परिवार व मित्रों की सलाह के आधार पर लिए जाते हैं। कांटार के साथ शेयरखान की तरफ से किए गए एक देशव्यापी सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली।

सीरियस अबाउट द मार्केट्स शीर्षक से जारी रिपोर्ट में पाया गया है कि सिर्फ 10 फीसदी ट्रेडरों ने ही अपने आप विश्लेषण किए।

इसके अलावा 40फीसदी से ज्यादा नए ट्रेडरों ने दावा किया कि वे आसान कमाई के मौके की खातिर एफऐंडओ सेगमेंट में उतरे हैं, वहीं उनमें से 48 फीसदी का मानना है कि 30-40 फीसदी लोग लगातार अच्छा रिटर्न हासिल कर रहे हैं।

30 से 40 फीसदी लोगों को अच्छा रिटर्न मिलने का अनुमान बाजार नियामक के तथ्यों से उलट है, जिसमें कहा गया है कि 10 में से 9 निवेशक डेरिवेटिव या एफऐंडओ सेगमेंट में रकम गंवाते हैं।

सेबी की तरफ से हुए अध्ययन के बाद शेयर ब्रोकरों को जोखिम से संबंधित खुलासा निवेशकों व ट्रेडरों को करना अनिवार्य किया गया है।

सर्वे में शामिल 55 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्होंने एफऐंडओ ट्रेड में अपने नुकसान को कम करने या उसे औसत बनाने के लिए और खरीद करते हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए ''केंद्रित'' "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
चन्दरमुखी, नरीमनपॉइंट, मुंबई-400 021, दूरभाष: 022-66387680,
फैक्स: 022-22044336, वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in

शीर्ष प्रबंधन में कार्यपालकों/मानवशक्ति की नियुक्ति/भर्ती में दक्ष नियोक्ता संस्थाओं/मानवशक्ति भर्ती एजेंसियों को सहबद्ध करना

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है, जिसकी अखिल भारतीय शाखा नेटवर्क में **4500** से अधिक शाखाएं हैं, जिनका कुल व्यवसाय **रु.6,00,000** करोड़ का है, जो **32000** से अधिक कर्मचारियों की प्रतिबद्ध टीम द्वारा संचालित है, शीर्ष प्रबंधन में कार्यपालकों/मानवशक्ति की नियुक्ति/भर्ती में दक्ष नियोक्ता संस्थाओं/मानवशक्ति भर्ती एजेंसियों को सहबद्ध करने का प्रयोजन करता है।
अधिक जानकारी के लिए एजेंसियों से अनुरोध है कि वे हमारे बैंक की वेबसाइट **https://www.centralbankofindia.co.in** पर जाएं।
स्थान: मुंबई
दिनांक: 28/12/2023 **महाप्रबंधक (एचसीएम)**

NSE
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
'एक्स्चेंज प्लाझा', वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - 400 051

जाहीर नोटीस

सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2021 के विनियमन 32 (3) के संदर्भ में कंपनियों के इक्विटी शेयरों के अनिवार्य असूचीकरण के लिए सार्वजनिक सूचना.

सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2021 ('असूचीकरण विनियम') के विनियमन 32 (3) के संदर्भ में और प्रतिभूति अनुबंध ('विनियमन') अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 21(ए) के अंतर्गत बनाए गए नियमों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एक्सचेंज') के नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार, एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि एक्सचेंज नीचे उल्लेखित कंपनी का असूचीकरण करने का प्रस्ताव करता है, क्योंकि उक्त कंपनी ने, अन्य बातों के अलावा, प्रतिभूतियों के असूचीकरण के लिए आधार बना लिया है, यानी, उक्त कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग को सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में सेबी/एक्सचेंज द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों का अनुपालन न करने के कारण छह महीने से अधिक समय से निलंबित किया जाता है.

एक्सचेंज ने कंपनी को एक्सचेंज रिकॉर्ड के अनुसार उसके अंतिम ज्ञात पते और पंजीकृत ई-मेल पते पर कारण बताओ सूचना जारी की है, जिसमें उक्त कंपनी से पूछा गया है कि कंपनी के इक्विटी शेयरों को एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए. एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी का नाम और उसका अंतिम ज्ञात पता नीचे दिया गया है :

क्रमांक	कंपनी	*कंपनी का पंजीकृत पता
1.	एजेआर इंफ्रा एंड टोलिंग लिमिटेड	तीसरी मंजिल, 3/8 हैमिल्टन हाउस, जे.एन. हेरेडिया मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई - 400038.

*पते एक्सचेंज के रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध हैं.
अनिवार्य असूचीकरण के परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं :
- उपरोक्त कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीकृत होना स्थगित किया जाएगा. इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के प्रसार मंडल में ले जाया जाएगा.
- असूचीकरण विनियमों के विनियम 34 के संदर्भ में,
  1. असूचीकृत कंपनी, उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उसके प्रवर्तक और उनमें से किसी के द्वारा प्रवर्तित कंपनियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार तक नहीं पहुँच पाएँगे या वे ऐसे असूचीकरण की तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए किन्हीं इक्विटी शेयरों के किसी भी सूचीकरण या प्रतिभूति बाजार में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की माँग नहीं कर पाएँगे.
  2. एक कंपनी जिसका उचित मूल्य सकारात्मक है, उसके मामले में -
     ए. ऐसी कंपनी और डिपॉजिटरी प्रमोटरों / प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए किन्हीं इक्विटी शेयरों के विक्रय, गिरवी आदि के माध्यम से इस अंतरण को प्रभावित नहीं करेंगे और कॉर्पोरेट लाभ, जैसे डिविडेंड, राइट्स, बोनस शेयर, विभाजन आदि प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए सभी इक्विटी शेयरों के लिए तब तक फ्रीज रहेंगे, जब तक कि ऐसी कंपनी के प्रमोटर इन विनियमों के विनियमन 33 के उप-विनियम (4) के अनुपालन में सार्वजनिक शेयरधारकों को निर्गम विकल्प प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित है.
     बी. अनिवार्य रूप से असूचीकृत कंपनी के प्रमोटर, पूर्णकालिक निदेशक और प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी अनुभाग (ए) में उल्लेखित अनुसार निर्गम विकल्प उपलब्ध करवाए जाने तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बनने के पात्र नहीं होंगे.
- असूचीकरण विनियमों के विनियम 33 के संदर्भ में,
  1. जब किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीकृत किया जाता है, तो उस मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता(ओं) को नियुक्त किया जाएगा, जिनके द्वारा असूचीकृत इक्विटी शेयरों का उचित मूल्य निर्धारित किया जाएगा.
  2. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं का एक पैनल बनाया जाएगा और उप-विनियमन (1) के उद्देश्य से उक्त पैनल में से मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा.
  3. असूचीकृत इक्विटी शेयरों का मूल्य सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2021 के विनियमन 20 के उप-विनियम (2) में उल्लेखित कारकों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा.
  4. कंपनी के प्रमोटर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीकृत होने की तिथि से तीन महीने के भीतर, मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य का भुगतान करके सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीकृत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेंगे, जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास अपने शेयर यथावत रखने के विकल्प के अधीन होगा.
  5. जो शेयरधारक इस अनिवार्य असूचीकरण प्रस्ताव के अंतर्गत अपने शेयर प्रस्तावित करते हैं, उन्हें प्रमोटर द्वारा प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, यदि विनियम 33 के उप-विनियम (3) के अनुसार देय मूल्य का भुगतान विनियम 33 के उप-विनियम (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सभी शेयरधारकों को नहीं किया जाता है.

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस प्रस्तावित असूचीकरण द्वारा पीड़ित होता/होती है, वह अपना अभ्यावेदन, यदि कोई हो, **इस सूचना के 15 कार्यदिवसों के भीतर, यानी 18 जनवरी, 2024 को या उससे पहले,** लिखित में एक्सचेंज की असूचीकरण समिति को दे सकता/सकती है.

अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति(यों) के संपूर्ण संपर्क विवरणों के साथ यह अभ्यावेदन निम्नांकित को प्रेषित किया जाना चाहिए :

असूचीकरण समिति, सूचीकरण विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाज़ा', सी-1, ब्लॉक-जी, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051. संपर्क नंबर : +91 8655648140, ई-मेल: vgandhi@nse.co.in, delisting@nse.co.in , जिसके साथ dl-insp-enf-delisting@nse.co.in को भी सीसी करें.

कंपनी को यह निर्देश दिया गया है कि वह **दिनांक 18 जनवरी, 2024** को या उससे पहले कंपनी के प्रमोटर/निदेशक के विवरण अद्यतन करे. उपरोक्त सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर/निदेशक को उपरोक्त टेलीफोन नंबर और ईमेल पते पर तुरंत एक्सचेंज से संपर्क करने के लिए भी कहा गया है.

स्थान: मुंबई **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए**
दिनांक: 28 दिसंबर, 2023
Nifty50

MSE METROPOLITAN STOCK EXCHANGE
METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED
Address: - 205A, 2nd Floor, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction,
LBS Road, Kurla (West), Mumbai – 400 070. • Tel:- 022-+91 22 6112 9000; Email: - Listing@msei.in

PUBLIC NOTICE

Public notice for compulsory delisting of equity shares of companies in terms of Regulation 32(3) of SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021.

In terms of Regulation 32(3) of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations") and as per the rules made under Section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules, Bye-Laws and Regulations of Metropolitan Stock Exchange of India Limited ("the Exchange"), NOTICE is hereby given that the Exchange proposes to delist the undermentioned companies from the Exchange as the said companies have, inter alia, made out grounds for compulsory delisting of their securities i.e. the trading in the securities of the said companies has been under suspension for a period of more than six months on account of non-compliance with various provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and various circulars issued by SEBI/ Exchange in this regards from time to time.

The Exchange has issued a show notice to the companies at their last known address and registered email address as per the Exchange records, asking the said companies to SHOW CAUSE as to why the equity shares of the Company should not be compulsorily delisted from the Exchange. They have either failed to reply to the Exchange communication or failed to take steps for completion of revocation of suspension in the trading of their securities.

The list of these companies along with their last know addresses as per exchange records, is given below: -

Sr. No.	Symbol	Company Name	Registered Address of the Company
1.	KCL	KCL LIMITED (ISIN:- INE061C01010)	E-292, SARITA VIHAR, NEW DELHI, Delhi, India, 110044 and Plot No 297, Sector-24, Faridabad, Haryana, India, 121005.
2.	SABELECT	SAB ELECTRONIC DEVICES LIMITED (ISIN:- INE617R01017)	C - 53, Phase - II, Noida, Uttar Pradesh 205301
3.	RKMAN	R K MANUFACTURING CO LTD (ISIN: - INE423E01018)	215-A, MANEK CENTER, P.N. MARG, JAMNAGAR, JAMNAGAR, GUJARAT, INDIA, 361008

The Consequences of Compulsory Delisting include the following: -
1. These companies would cease to be listed on stock exchange.
2. In terms of **Regulation 33** of the SEBI Delisting Regulations,
   33. (1) Where the equity shares of a company are delisted by a recognised stock exchange under this Chapter, the recognised stock exchange shall appoint an independent valuer(s) who shall determine the fair value of the delisted equity shares.
   (2) The recognised stock exchange shall form a Panel of expert valuers and from the said Panel, the valuer(s) for the purposes of sub-regulation (1) shall be appointed.
   (3) The value of the delisted equity shares shall be determined by the valuer(s) having regard to the factors mentioned in sub-regulation (2) of regulation 20 of SEBI (Delisting of Equity shares) Regulations, 2021.
   (4) The promoter(s) of the company shall acquire the delisted equity shares from the public shareholders by paying them the value determined by the valuer, within three months of the date of delisting from the recognised stock exchange, subject to the option of the public shareholders to retain their shares.
   (5) The promoter shall be liable to pay interest at the rate of ten percent per annum to all the shareholders, who offer their shares under the compulsory delisting offer, if the price payable in terms of sub-regulation (3) is not paid to all the shareholders within the time specified under sub-regulation (4):
   Provided that in case the delay was not attributable to any act or omission of the acquirer or was caused due to the circumstances beyond the control of the acquirer, the Board may grant waiver from the payment of such interest.
3. In terms of **Regulation 34** of SEBI Delisting Regulations,
   34. (1) Where a company has been compulsorily delisted under this Chapter, the company, its whole-time directors, person(s) responsible for ensuring compliance with the securities laws, its promoters and the companies which are promoted by any of them shall not directly or indirectly access the securities market or seek listing of any equity shares or act as an intermediary in the securities market for a period of ten years from the date of such delisting.
   (2) In case of a company whose fair value is positive –
   (a) such a company and the depositories shall not effect transfer, by way of sale, pledge, etc., of any of the equity shares held by the promoters / promoter group and the corporate benefits like dividend, rights, bonus shares, split, etc. shall be frozen for all the equity shares held by the promoters/ promoter group, till the promoters of such company provide an exit option to the public shareholders in compliance with sub-regulation (4) of regulation 33 of these regulations, as certified by the relevant recognized stock exchange;
   (b) the promoters, whole-time directors and person(s) responsible for ensuring compliance with the securities laws, of the compulsorily delisted company shall also not be eligible to become directors of any listed company till the exit option as mentioned in clause (a) is provided.

In case, any concerned person is desirous of making any representation to the Exchange, they may do so in writing with all supporting documents, **within 15 working days from the date of this Notice i.e. on or before Wednesday, January 17, 2023.** Scanned copy of the signed representation containing complete contact details (email id, address and phone number) of the person/s making the representation/s should be sent compulsorily by e-mail to the Exchange's email Id i.e. listing@msei.in.

Any anonymous representation(s) would not be considered valid.

Kindly note that representations that are sent through any mode of communication other than to the designated email id would not be construed as valid representation and thus, will not be considered by the Exchange.

Place: Mumbai **Date: December 28, 2023**

For and on Behalf of Metropolitan Stock Exchange of India

Authorised Officer